BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

केन्द्र–राज्य संबंध

संघीय संविधान, राष्ट्रीय प्रभुता एवं राज्य प्रभुता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को "सहकारी संघवाद" की संज्ञा दी गई है। सहकारी संघवाद व्यवस्था में दोनों ही सरकारें एक–दूसरे पर निर्भर रहती है। संघवाद का बुनियादी तत्व है – शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरान्त भी केन्द्र और राज्यों के बीच अन्तःक्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। भारत के संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की निश्चित एवं सुस्पष्ट योजना है। संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार है :–

1. केन्द्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध।
2. केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध।
3. केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध – संघ(केन्द्र) तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों का संचालन क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के आधार पर होता है। इन सभी सूचियों को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में रखा गया है।

1. **संघ सूची(Union List)** – संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना होता है। संघ सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद के पास होता है।

उदाहरणार्थ – रक्षा, विदेश से संबंधित मामले, देशीकरण व नागरिकता, युद्व व संधि आदि।

2. **राज्य सूची(State List)** – इस सूची के अन्तर्गत साधारणतया क्षेत्रीय विषयों को रखे जाते हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिका के पास होता है। विषय– स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़के, जेल आदि।
3. **समवर्ती सूची(Concurrent List)** – इस सूची में साधारणतया वैसे विषय रखे जाते हैं जिनका महत्व संघीय एवं क्षेत्रीय, दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्यों दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों,तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा।

राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति – समान्यतया संविधान द्वारा किए गए इस शक्ति के विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा, लेकिन संसद द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

1. **राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में एक विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए, संसद को शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए राज्यसभा अपने दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी मान्यता केवल एक वर्ष के लिए होती है। राज्यसभा द्वारा पुनः प्रस्ताव स्वीकृत कर इसकी अवधि एक वर्ष बढ़ायी जा सकती है। अवधि समाप्त होने पर भी यह 6 माह तक इसका प्रयोग कर सकता है।
2. **आपातकाल की घोषणा होने पर** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति आती है तो संसद को राज्य सूची से संबंधित मामलों

पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 महीने बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत् रहेंगे।

3. **राज्यों के विधानमण्डल द्वारा इच्छा प्रकट करने पर** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों के विधानमण्डल के द्वारा इच्छा प्रकट करने पर संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्यों के विधानमण्डल इस कानून को न तो संशोधित कर सकते हैं और न ही इसे पूर्णरूपेण समाप्त कर सकते हैं।
4. **राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर** – यदि किसी राज्य का संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाय, तो राष्ट्रपति राज्य विधानमण्डल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर देता है।
5. **विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार, यदि संघ सरकार विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उसके सहयोग से नवीन योजना का निर्माण किया हो, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कुछ माामलों में राज्यों को निर्देश देने के लिए केन्द्र को शक्ति प्रदान करता है।